रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 12 सितम्बर, 1990/21 भाद्रपद, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 18 अगस्त, 1990

संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 (बी0 एण्ड आर0) बी-26 (1)/90.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्रामीण योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 42 की उप-धारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0 डब्ल्यु0 (बी0 एण्ड आर0) (बी) 15 (14)/83, दिनांक 5 दिसम्बर, 1983 द्वारा गठित शिमला विकास प्राधिकरण के सदस्यों, श्री आनन्द शर्मा तथा श्रीमती सत्यावती परमार जो कि इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5-1-84 और 28-7-84 द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गए थे, के स्थान पर निम्नलिखित सदस्यों को तुरन्त नाम निर्दिष्ट करते हैं :—

1. श्री सुरेश भारद्वाज, विधायक .. सदस्य
2. श्री रूप दास कश्यप, विधायक .. सदस्य

आदेश द्वारा,
अ0 कु0 महापात्रा,
आयुक्त एवं सचिव (लोक निर्माण) ।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 29 अगस्त, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0ए0 (5) 45/89.—क्योंकि श्री नारायण सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत पांगणा, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत उपायुक्त मण्डी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या एम0 एन0डी0 डैव सैक्शन/89-4325 1-55 दिनांक 15-11-89 में दर्शाये गये आरोपों पर विधिवत जांच इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी, 1990 को जिला पंचायत अधिकारी को सौंपी गई थी;

और क्योंकि जिला पंचायत अधिकारी मण्डी द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट तथा उस पर जिलाधीश मण्डी की टिप्पणियां लेने के बाद राज्य सरकार मामले का बारीकी से परीक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि श्री नारायण सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत पांगणा, विकास खण्ड करसोग पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होते ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (4) के अन्तर्गत मामले का परीक्षण करने के बाद श्री नारायण सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत पांगणा, विकास खण्ड करसोग के विरुद्ध चले मामले को समाप्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव (पंचायत) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।